न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 60 / 2021

सरकार बनाम रामोतार,राजेन्द्र पुत्रान बुलाराम जाति– खाती निवासी– पिचानवा

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 13.07.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल रामोतार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान रामोतार,राजेन्द्र पुत्रान बुलाराम जाति–. खाती, निवासी–पिचानवा द्वारा रोही मौजा पिचानवा की राजकीय भूमि ख.नं. 114 के कुल रकबा 0.28 है0 किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.02 है0 भूमि पर जोत लगाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल रामोतार ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया कि गै.मु. रास्ता में उसका कोई अतिक्रमण नही है। अन्य कोई साक्ष्य/ सबूत पेश नही किया। गैर सायल का जवाब संतोषप्रद नही माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 6रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.07.[redacted].2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं........12.......
वर्ष 2021-22....में रुपये....6/..... कायम
राजस्व लेखाकार

(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़